भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAYS)
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

RBA No. 44/2020
GST Circular No. 24/2020

No. 2018/AC-II/1/11/GST References **Dated, 8th May, 2020**

General Managers,
All Zonal Railway/Production Units

Sub: - Electronic Cash Ledger Balances under GST available on GSTN portal.

Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) vide Notification No. 37/2020-Central Tax dated 28th April, 2020 has notified the effective date for applicability of sub-rule 13 of Rule 87 of CGST Rules, 2017. As per this notification, 21st April, 2020 is the effective date from which the said rule 87(13) shall be applicable. The relevant extract of the said the rule is reproduced below:

"A registered person may, on the common portal, transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under the Act to the electronic cash ledger for integrated tax, central tax, State tax or Union territory tax or cess in FORM GST PMT-09."

The Electronic Cash ledger available on the GSTN portal reflects cash balances under 4 major heads (i.e. IGST, CGST, SGST and Cess) and 5 minor heads (i.e. Tax, Interest, Penalty, Fee and Others). Consequent to the above mentioned rule, any unutilised cash balance available on GSTN portal under any major/minor head can be transferred to any other major/minor head. Such transfer can be made by filing the form GST PMT-09 on GSTN portal. Few of the examples are given below:

a. Cash balance available in CGST (Interest) may be transferred to IGST (Tax)
b. Cash balance available in IGST (Tax) may be transferred to CGST (Tax)
c. Cash balance available in SGST (Tax) may be transferred to IGST (Tax)
d. Cash balance available in SGST (Tax) may be transferred to CGST (Penalty), etc

Accordingly, Principal Railways are directed to identify the unutilised Cash balances available on GSTN portal under all major/minor heads. Also, identify the reasons for such unutilised cash balances like tax inadvertently deposited under wrong head or excess deposited or not reported in GST returns, etc. Once all such balances are identified, Zonal Railways may file form GST PMT-09 to transfer such balances in different major or minor heads on GSTN portal. **GST Consultants engaged by the concerned Zonal Railways may be consulted without fail.** It is pertinent to note that such balance transfer using form GST PMT-09 is allowed only for cash balances and no transfer is being allowed for Input Tax Credit balances available in Electronic Credit Ledger on the GSTN Portal.

This issues with the approval of competent authority.

(Sanjeev Sharma)
Director Finance (Accounts)
Railway Board

Copy to:-

1. PFAs, All Zonal Railways and Production Units.
2. GM/Finance/GSTM, GM/AIMS, CRIS

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

आरबीए सं. 44/2020
जीएसटी परिपत्र सं. 24/2020

सं. 2018/एसी-II/1/11/जीएसटी रेफरेंस दिनांक 08 अप्रैल, 2020

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय:- जीएसटीएन पोर्टल पर उपलब्ध जीएसटी के अंतर्गत इलैक्ट्रॉनिक नकद बहीखाता बकाया।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने दिनांक 28 अप्रैल, 2020 की अधिसूचना सं. 37/2020-केंद्रीय कर के तहत सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 87 के उप-नियम 13 के लागू होने की प्रभावी तारीख अधिसूचित की है। इस अधिसूचना के अनुसार 21 अप्रैल, 2020 प्रभावी तारीख होगी, जिससे उक्त नियम 87(13) लागू होगा। उक्त नियम के अनुरूप सार नीचे दिया गया है:

" एक पंजीकृत व्यक्ति सामान्य पोर्टल पर फार्म जीएसटी पीएमटी-09 में समेकित कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर अथवा केन्द्रशासित प्रदेश कर के लिए इलैक्ट्रॉनिक नकद बहीखाता के लिए अधिनियम के अंतर्गत इलैक्ट्रॉनिक नकद बहीखाता में उपलब्ध कोई अन्य राशि हस्तांतरित कर सकता है"

जीएसटीएन पोर्टल पर उपलब्ध इलैक्ट्रॉनिक नकद बहीखाता 4 मुख्य शीर्षों (अर्थात् आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और कर) और 5 लघु शीर्षों (अर्थात् कर, ब्याज, दंड, शुल्क और अन्य) के अंतर्गत नकद बकाया को दर्शाता है। ऊपर उल्लिखित नियम के फलस्वरूप, किसी भी मुख्य/लघु शीर्ष के अंतर्गत जीएसटीएन पोर्टल पर उपलब्ध अप्रयुक्त

नकद बकाया को किसी अन्य मुख्य/लघु शीर्ष में हस्तांतरित किया जा सकता है। ऐसे हस्तांतरण जीएसटीएन पोर्टल पर जीएसटी पीएमटी-09 फॉर्म भरकर किए जा सकते हैं। इसके कुछ उदहारण नीचे दिए गए हैं:

क. सीजीएसटी (ब्याज) में उपलब्ध नकद बकाया को आईजीएसटी (कर) में हस्तांतरित किया जाए

ख. आईजीएसटी (कर) में उपलब्ध नकद बकाया को सीजीएसटी (कर) में हस्तांतरित किया जाए

ग. एसजीएसटी (कर) में उपलब्ध नकद बकाया को आईजीएसटी (कर) में हस्तांतरित किया जाए

घ. एसजीएसटी (कर) में उपलब्ध नकद बकाया को सीजीएसटी (दंड) आदि में हस्तांतरित किया जाए

तदनुसार, प्रधान रेलों को सभी मुख्य/लघु शीर्षों के अंतर्गत जीएसटीएन पोर्टल पर उपलब्ध अप्रयुक्त नकद बकाया को चिह्नित करने के निदेश दिए जाते हैं। ऐसे अप्रयुक्त नकद बकाया जैसे गलत शीर्ष के अंतर्गत असावधानी से जमा कराया गया कर अथवा जीएसटी रिटर्न में अधिक जमा अथवा रिपोर्ट नहीं किए गए जमा आदि के कारण भी चिह्नित करें। एक बार ऐसे सभी बकाया को चिह्नित किए जाने के बाद, क्षेत्रीय रेलें ऐसे बकाया को जीएसटीएन पोर्टल पर विभिन्न मुख्य अथवा लघु शीर्षों में हस्तांतरित करने के लिए जीएसटी पीएमटी-09 फार्म दाखिल करें। संबंधित क्षेत्रीय रेलों द्वारा नियुक्त किए गए जीएसटी परामर्शदाताओं से अनिवार्य रूप से परामर्श किया जाए। यह नोट करना उपयुक्त होगा कि जीएसटी पीएमटी-09 फार्म का इस्तेमाल करते हुए ऐसे बकाया हस्तांतरण केवल नकद बकाया के लिए ही अनुमेय है और जीएसटीएन पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक क्रेडिट बहीखाते में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट बकाया के लिए हस्तांतरण अनुमेय नहीं है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(संजीव शर्मा)
निदेशक वित्त (लेखा)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।
2. महाप्रबंधक/वित्त/जीएसटीएम, महाप्रबंधक/एआईएमएस, क्रिस।